न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः— 71/2012 (223 आर. टी. एक्ट)

आरसीएमएस संख्या :— 2012/00162

उनवान

1. जनक सिंह
2. शंकर
3. जगदीश
4. देवेन्द्र

पिसरान धूप सिंह

5. भरत
6. सूरज

नाबालिग पुत्र धूप सिंह जरिये माता कम्पूरी

जाति गूजर नि0 वैनपुरा (खालसा) तहसील बाडी जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. धूप सिंह
2. मान सिंह

पिस0 सोनपाल जाति गूजर निवासी ग्राम वैनपुरा(खालसा) तहसील बाडी जिला धौलपुर।

3. रामवीर
4. जन्डैल सिंह

पुत्रान सूबेदार जाति गूजर निवासी गुर्जर कालोनी धौलपुर जिला धौलपुर।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाडी जिला धौलपुर।

.....रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 का0 अ0 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखण्ड अधिकारी,बाडी दि0 09.05.2012 प्र. सं. 46/11 उनवानी जनक सिंह बनाम रामवीर आदि।

अभिभाषकगण :—

1. वकील अपीलांट श्री दिनेश शर्मा उपस्थित।
2. रैस्पो0 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक—28.08.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 09.05.2012 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट/वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध रैस्पो0/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 289 रकवा 14 बीघा 08 विस्वा वाके ग्राम कांसपुरा तहसील बाडी के खातेदार काश्तकार अपीलाण्ट/वादीगण के बाबा सोनपाल पुत्र नाहर सिंह थे। उपरोक्त आराजी अपीलाण्ट /वादीगण के बाबा को विरासतन अपने पिता से प्राप्त हुई। अतः विवादित आराजी संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक सम्पत्ति होने के कारण अपीलाण्ट/वादीगण को जन्म से ही खातेदारी अधिकार हासिल हैं। अपीलाण्ट/वादीगण विवादित आराजी में 3/7 हिस्से व प्रतिवादीगण/रैस्पो0 संख्या 01 धूप सिंह 1/14 तथा 02 मान सिंह 1/2 के खातेदार काश्तकार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हैं। सोनपाल की मृत्यु के पश्चात् प्रतिवादीगण/रैस्पो0 संख्या 01 व 02 धूप सिंह व मान सिंह ने आराजी का दाखिला खारिज तन्हा अपने नाम करा लिया तथा इसी आधार पर प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 03 धूप सिंह ने रैस्पो0/प्रतिवादीगण संख्या 03 व 04 रामवीर सिंह व जन्डैल सिंह के हक में 1/2 हिस्से का वयनामा कर दिया। जबकि मौके पर रैस्पो0/प्रतिवादीगण संख्या 03 व 04 का कोई कब्जा नहीं है। अतः वाद प्रस्तुत कर, विवादित आराजी में अपने हकूक खातेदारी घोषित कराने, प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने व अपीलाण्ट/वादीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप व बेदखल नहीं करने व विवादित आराजी का बॅटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड कराकर पृथक से खाता कायम करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादीगण/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गईं। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। रैस्पो0 बाबजूद सूचना अनुपस्थित हैं, उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने के कारण काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 06 का निर्णय विरूद्ध अपीलाण्ट करने में भारी त्रुटि की है। सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट का दावा सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं मानते हुये निर्णय जेर अपील पारित किया है, जो विधिक प्रावधानों के परे है। विवादित आराजी अपीलाण्ट के बाबा श्री सोनपाल की मृत्यु के बाद रैस्पो0 संख्या 01 व 02 विरासतन वहैसियत खातेदार काबिज हुये। अपीलाण्ट रैस्पो0 संख्या 01 के पुत्र हैं। रैस्पो0 संख्या 01 विवादित आराजी में 1/2 हिस्सा का खातेदार विरासतन अंकित हुआ था। चूंकि आराजी पैतृक है इसलिये अपीलाण्ट अपने पिता श्री धूप सिंह के साथ विवादित आराजी में सह खातेदार कोपार्सनर के नाते है। रैस्पो0 संख्या 01 ने स्वयं के नाम विवादित आराजी बाबत् गलत हिस्सा 1/2 दर्ज कराते हुए, नाजायज लाभ उठाकर दिनांक 03.08.1999 को जरिये वयनामा रैस्पो0 संख्या 03 व 04 को विक्रय कर दिया। उक्त वयनामा वमुकाबले अपीलाण्ट शून्य है क्योंकि उनके कोपार्सनरी शेयर को विक्रय करने का कोई अधिकार रैस्पो0 संख्या 01 को नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय स्वयं विवादित आराजी को पैतृक सम्पत्ति मानती है, तो फिर अधीनस्थ न्यायालय ने वयनामा को शून्य मानने में कानूनी भूल की है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में दावा घोषणा एवं बॅटवारे का था तथा साथ में यह अनुतोष चाहा गया था कि वयनामा वमुकाबले अपीलाण्ट नल एण्ड बोइड है ऐसी सूरत में राजस्व न्यायालय को पूर्ण रूपेण दावा को सुनवाई का अधिकार है। वयनामा को सिविल कोर्ट से निरस्त कराने की कोई आवश्यकता नहीं है स्वयं राजस्व न्यायालय ही दावा को मैरिट पर फैसल करने में सक्षम है। मगर सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं मानने में कानूनी भूल की है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरएलडब्ल्यू 2012 पेज 3050, आरबीजे 2017 पेज 230, 2014 पेज 436, आरआरडी 1995 पेज 737, 1994 पेज 53 व 139 का हवाला देते हुए, अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर, अधीनस्थ न्यायालय को पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किये जाने का निवेदन किया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु दादरसी सहित सात तनकियॉ निर्धारित की हैं। प्रकरण में मुख्य बिन्दु यह है कि क्या वर्तमान दावा राजस्व न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है ? रैस्पो0/प्रतिवादी पक्ष द्वारा उठायी गयी इस आपत्ति के आधार पर, इस बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 06 बनायी जाकर, उभयपक्ष की सहमति से समस्त तनकियों को छोडकर केवल तनकी संख्या 06 पर बहस सुनी जाकर अपीलाधीन आदेश से अपीलाण्ट/वादी का दावा खारिज किया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि राजस्व न्यायालय अथवा सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का निर्धारण वाद पत्र के सारभूत अभिवचनों और चाहे गये मुख्य अनुतोष से किया जाता है। न्यायालय द्वारा किसी भी वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार तय करते समय यह देखना होता है कि वाद में चाहा गया मुख्य अनुतोष न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है अथवा नहीं ? हस्तगण प्रकरण में अपीलाण्ट/वादीगण का दावा वयनामा निरस्तीकरण का ना होकर विवादित आराजी बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का है। जिसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 207 में अंकित विधिक प्रावधानानुसार, राजस्व वाद के जरिये ही हासिल किया जा सकता है। वाद में किये गये दावे के अनुतोष की सच्ची प्रकृति का अवधारण करने हेतु बल व सार पर विचार करना होता है ना कि उस स्वरूप पर जिसमें अनुतोष को अभिव्यक्त किया जावें। लिहाजा जब अपीलाण्ट/वादी द्वारा मुख्य अनुतोष खातेदारी अधिकारो की घोषणा एवं निषेधाज्ञा हेतु चाहा गया है तो कथित वयनामा उसके दावे के रास्ते में नहीं आ सकता। जब अपीलाण्ट/वादी कथित वयनामा से पाबन्द ही नहीं है तो उसके लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह वयनामा को निरस्त कराने का दावा लाये। यदि राजस्व न्यायालय अपीलाण्ट/वादी को विवादित भूमि का सह–काश्तकार घोषित करता है तो उसके लिए यह आवश्यक नहीं कि वह विक्रय विलेख को निरस्त करावें क्योंकि वह स्वतः ही अपीलाण्ट/वादी के हिस्से की सीमा तक को शून्य एवं अप्रभावी ठहरायेगा। उपरोक्त तथ्यात्मक व विधिक बिन्दुओ के आधार पर अपीलाण्ट/वादीगण का दावा राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का ही है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य पाते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 09.05.2012 निरस्त किये जाते हैं एवं प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर देते हुए, पुनः मैरिट पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 28.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official